न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 82/2020

1. शिवकुमार पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:- **वादी**

ब ना म

1. भरतसिंह पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. रोशन पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. कंचन पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **वादीगण**
वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 02.02.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 165/157 के खसरा सं0 376, 383, 384, 388, 389, 713, 716, 733, 783/377 की कुल 11.408है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 01 भरतसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा अर्जनराम की खातेदारी हुआ करती थी। अर्जनराम से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भरतसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया [illegible] की मद संख्या को स्वीकार करते हुए व अपने पहचान पत्रों को प्रस्तुत [illegible] प्रतिवादी सं 2 व 3 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया [illegible] जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:27:55 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 शिवकुमार के ब्यान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि-जमाबंदी रोही भाडी प्रदर्श 1 जमाबंदी भू प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 2 शपथ पत्र वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें

Scanned with CamScanner

वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्शित करवाये उनमें वाद भूमि वादी के दादा अर्जनराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं शपथ पत्र वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में भरतसिंह के वारिसान में 1 पुत्र शिवकुमार, व 2 पुत्री रोशन, कंचन तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित कियें जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 165/157 के खसरा सं0 376, 383, 384, 388, 389, 713, 716, 733, 783/377 की कुल 11.408है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 01 भरतसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **मैं** वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी शिवकुमार प्रतिवादी सं 01 भरतसिंह प्रतिवादीया सं 02 रोशन प्रतिवादीया सं 03 कंचन को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-02-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:27:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 107/2020

अनवान :

1. शिवकुमार पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. भरतसिंह पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. रोशनी पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. कंचन पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 165/157 के खसरा सं0 376, 383, 384, 388, 389, 713, 716, 733, 783/377 की कुल 11.408है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 01 भरतसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी शिवकुमार प्रतिवादी सं 01 भरतसिंह प्रतिवादीया सं 02 रोशन प्रतिवादीया सं 03 कंचन को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहा. कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:27:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner